भारत सरकार
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2037
उत्तर देने की तारीख 07.08.2023

सरकारी धन का गबन

2037 **श्री एस. कल्याणसुन्दरमः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में स्थित सर्वोदय संघ में वर्ष 2014-2020 के दौरान कई करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन के घोटाले की जांच करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के दोषी अधिकारियों और अवरामपलयम, कोडुवई और सलेम में कार्यरत सर्वोदय संघ के सचिवों और पदाधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और
(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2014-2020 के दौरान घोटालेबाजों के साथ मिलीभगत करने और बुनकरों, कताईकारों और कारीगरों को आवंटित धन के दुर्विनियोजन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है?

उत्तर
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को कारीगरों के बैंक खातों से निधियों के कु-प्रबंधन/ दुर्विनियोजन/दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) केवीआईसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, सर्वोदय संघ की वित्तीय लेखा-परीक्षा प्रति वर्ष की जाती है। तथापि, शिकायतों को देखते हुए, केवीआईसी द्वारा विशेष लेखा-परीक्षा कराई गई है और लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, उत्पादन आंकड़ों में पाई गई अनियमितताओं के लिए संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) की वसूली का आदेश दिया गया है। चूंकि अब तक, इस मामले में केवीआईसी अधिकारियों की संलिप्तता की कोई सूचना नहीं है, इसलिए कड़ी कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

******